18/2/22	पत्रावली मूल वाद के साथ प्रस्तुत हुई। वादिया द्वारा अपना मूल दावा (किश्) किया जा चुका है। मूल वाद के बतौर प्रार्थना पत्र विचारणीय नहीं है अतः मूल वाद की रोशनी में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर शामिल मूल वाद रहे। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज)	Madhuri